ग्राम पंचायत पलानिया, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग-1

1 प्रस्तावना (क):-

ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सौंपने जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पलानिया, विकास खंड कुनिहार जिला सोलन का अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गम्भीर आपतियों का सार:-

क्रम सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	स्वः स्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति व बैंक खातों के जमा में अंतर	5 (क) (I)	3.20
2	-यथोपरि- वाटर शेड (डी0पी0ए0पी0) (10th)	5 (ख)	0.11
3	मनरेगा -यथोपरि-	5 (ग)	(-) 1.80
4	12th, 13th, व 14th वित्तयोग -यथोपरि-	5 (घ)	1.20
5	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	8 (iii)	0.56
6	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पूर्व सचिव के पास हस्तगत राशि को बट्टे खातों में डाला जाना	10 (iii)	0.17
7	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु लम्बित	11	0.24
8	जे0सी0बी0 चार्जिस का अनियमित भुगतान एवं वैधानिक कटौतियाँ न करना	13	3.11
9	क्रय किए गए स्टोर/स्टॉक का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना	18 (ii)	1.83

2 अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

क्रम संख्यां	प्रधान	अवधि	सचिव	अवधि
1.	श्रीमती उमा देवी	04/13 से 22/01/2016	श्री दिला राम	04/2013 से
2.	श्री संजय कुमार	23/01/2016 से लगातार		लगातार

भाग -2

3 ग्राम पंचायत पलानिया अवधि 01-04-2013 से 31.3.201 6 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खंड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 03/14, 07/14 व 08/15 तथा व्यय हेतु माह 11/13, 06/14 व 07/15 का चयन किया गया । अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने /अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत पलानिया के लेखाओं अवधि 4/13 से 3 /16 तक के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 52 दिनांक 09/01/2017 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदे शक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

5 **वित्तीय स्थिति:-**

(क) स्वः स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान:-

(i) अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 51 दिनांक 06/01/17 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित माह वार तथा वर्षवार वित्तीय स्थिति पृथक-2 रूप से प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। ग्राम पंचायत पलानिया के स्व-स्त्रोतों एवं विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	847312.82	1327259.00	2174571.82	1380513.70	794058.12
2014-15	794058.12	1074811.00	1868869.12	983227.40	885641.72
2015-16	885641.72	1039958.00	1925599.72	943060.88	982538.84

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =982538.84—(1)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों का तथा हस्तगत शेष= 662677.84 -(2)

[662383.84 (विभिन्न बैंक्स में) + 294.00(हस्तगत रोकड़)]

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न

बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 319861/- (2-1)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹319861 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

क (ii) बैंक तथा डाक घर खातो में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :-

परिशिष्ट "क" द्वारा विभिन्न बैंक/डाक घर खातों में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु बार-2 आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंक/डाक घर में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। इस कारण इन खातों में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित बैंकों/डाक घरों से दिनांक 31/03/16 को जमा राशि बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ताकि जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि की जा सके।

क्रम संख्यां	बैंक/डाक घर का नाम	दिनांक 31/03/16 को जमा राशि (₹)
1.	जे सी सी बंधक खाता	30000
2.	डाक घर Arki	99.15
3.	डाक घर Arki	7.60
4.	डाक घर Bathalang	201.95

(ख) ग्राम पंचायत पलानिया के वाटर शेड (DPAP-10th) से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	190439.00	97763.00	288202.00	81814.00	206388.00
2014-15	206388.00	42980.00	249368.00	69778.00	179590.00

2015-16	179590.00	162003.00	341593.00	159769.00	181824.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =(-)181824(1)
(**परिशिष्ट "क"**, "के अनुसार)
दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक बचत खातों/ बही खातों के अनुसार शेष=192566 (2)
(**परिशिष्ट ""क"** के अनुसार)
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक बचत खातों के शेष में अन्तर:- ₹10742 (1-2)

नोट:-कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹10742 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) ग्राम पंचायत पलानिया के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट "क" के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	-162831.00	1105372.00	942541.00	1119418.00	-176877.00
2014-15	-176877.00	700857.00	523980.00	704338.00	-180358.00
2015-16	-95390.00	1298557.00	1118199.00	1298557.00	-180358.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =-180358.00 (1)
(**परिशिष्ट "क""** "के अनुसार)
दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक बचत खातों के अनुसार शेष =NIL(2)
(**परिशिष्ट "क""** के अनुसार)
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- -180358.00 (1-2)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹180358/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(घ) ग्राम पंचायत पलानिया के 12th, 13th तथा 14 th FC से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट "क" के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	106.00	1205.00	1311.00	41385.00	-40074.00
2014-15	-40074.00	3049.00	-37025.0	58365.00	-95390.00
2015-16	-95390.00	920836.00	825446.00	152990.00	672456.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =672456.00 (1)
दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक बचत खातों के अनुसार शेष =792401.00 (2)
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 119945.00 (2-1)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹119945.00 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ड़) ग्राम पंचायत पलानिया के IWMP से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट "क" के अनुसार प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	शून्य	140200.00	140200.00	175.00	140025.00
2014-15	140025.00	103870.00	243895.00	138461.00	105434.00
2015-16	105434.00	55952.00	161386.00	142191.00	19195.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार शेष =19195.00 (1)
दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष =19224.00 (2)
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 29.00 (2-1)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹29/- के अंतर के कारण चिन्हित करके

तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए आरम्भिक शेषों बारे :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "क"** के अनुसार दिनांक 01/04/2013 को जो आरम्भिक शेष उठाए गए थे यह आरम्भिक शेष Trial balance वर्ष 2012-13 में से उठाए गए थे। परन्तु खाता बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण दिनांक 31/03/13 को Trial balance में विभिन्न बैंकों के दर्शाए गए शेषों का खाता बही (ledger) में 31/03/13 को दर्शाए गए शेषों से मिलान नहीं हो पाया। इस कारण आरम्भिक शेष के अंतर्गत दर्शाए गये विभिन्न बैंकों के शेष बही खाता में दर्शाए गये बैंकों के शेष के अनुसार हैं तथा सही हैं इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित बही खाते आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि दिनांक 01/04/13 को उपरोक्त परिशिष्ट के अनुसार गए आरम्भिक शेष सही है इस तथ्य की पुष्टि की जा सके ।

7 एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं वित्तीय स्थिति प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई **परिशिष्ट "क"** (पृष्ठ संख्यां 33 तथा 34 पर संलग्न) जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 01/04/2013 को एस.जी.आर.वाई. मद के अंतर्गत ₹26717.30 (हस्तगत तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष मिला कर) शेष थे। अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के बावजूद एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित रोकड़ बही, बैंक पास बुक, वित्तीय स्थिति आदि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस इस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित आय व्यय की पड़ताल नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्राप्तियों व भुगतान सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई जानकारी सम्बन्धी अनियमितताओं बारे :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों की प्राप्तियों तथा भुगतानों सम्बन्धी ***परिशिष्ट "ख"*** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "ख"** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/16 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹456475/- शेष थी। इस से यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधं होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं

से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। **परिशिष्ट "ख"** की क्रम संख्यां 5 तथा 14 में दर्शाए गए अनुदानों T.S.C तथा मानदेय अध्यापिका के अंतर्गत प्राप्त राशियों का अंकेक्षण अवधि के दौरान बिलकुल भी उपयोग में नहीं किया गया था तथा दिनांक 31/03/16 को क्रमशः ₹116800 तथा ₹84841 शेष थी जोकि अनियमित है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) 12th, 13th तथा 14thFC अनुदानों बारे सही स्थिति न दर्शाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा 12 th, 13th तथा 14 th FC के आय व्यय के अभिलेख हेतु जहां एक ओर अलग से रोकड़ बही का रख रखाव किया जा रहा वहीँ दूसरी ओर 12th तथा 13th FC अनुदानों के अंतर्गत आय व्यय की प्रविष्टियाँ स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही में भी की जा रही थी। इस कारण इन अनुदानों के अंतर्गत आय व्यय तथा शेषों से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति न तो **परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से तथा न ही **परिशिष्ट "क"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति से स्पष्ट होती है तथा इन्हें ठीक नहीं माना जा सकता है। अतः 12 th, 13th तथा 14 th FC के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित आय व्यय तथा दिनांक 31/03/16 को शेषों बारे सही स्थिति तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए। उपरोक्त के साथ-2 अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित अनियमितताओं बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

अनुदान का शीर्ष	**टिप्पणी**
12th/13thFC	स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदानो से सम्बन्धित रोकड़ बही में वित्त वर्ष के अंत में तैयार की गई आय व्यय विवरणी (RD) में वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में इन अनुदानों के अंतर्गत कुछ भी व्यय नहीं दर्शाया गया था परन्तु **परिशिष्ट " ख"** में व्यय क्रमशः ₹85347/-, ₹58365/- तथा ₹152990/- दर्शाया गया है ।
5% DCP	स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदानो से सम्बन्धित रोकड़ बही के वित्त वर्ष के अंत में तैयार की गई आय व्यय विवरणी (RD) में वित्त वर्ष 2013-14 में व्यय ₹3950/- दर्शाया गया था परन्तु **परिशिष्ट "ख"** में यह व्यय ₹4000/- दर्शाया गया था ।

(iii) प्राप्त अनुदानों से ₹0.56 लाख का अधिक व्यय करना:-

परिशिष्ट "ख" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुदानों का शेष दिनांक 31/03/16 को ₹56271/- ऋणात्मक दर्शाया गया था जिसके बारे चर्चा के दौरान संतोष जनक उत्तर नही दिया गया। अतः अनुदानों की राशि को ऋणात्मक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अनुदान का शीर्ष	**दिनांक 31/03/16 को शेष**
मानदेय पंचायत पदाधिकारी	(-) 30125
पंचायत चौकीदार	(-) 26146
कुल योग	(-) 56271

(iv) विभिन्न अनुदानों के दर्शाए गए शेषों में अंतर होने बारे:-

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी अनुदानों से सम्बन्धित बही खाते अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण **परिशिष्ट "ख"** में विभिन्न अनुदानों के दर्शाए गए दिनांक 01/04/13 तथा 31/03/16 को क्रमश: आरम्भिक तथा अंतिम शेषों का मिलान बही खाते में दर्शाए गए शेषों से नहीं किया जा सका तथा इस कारण इन शेषों के बही खाते में दर्शाए गए शेषों के अनुसार थे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट "ख"** में अनुदानों के जो आरम्भिक शेष दर्शाए गए थे उनमें से कुछ शेष पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाए गए दिनांक 31/03/13 के Trial balance (तुलन पत्र) में दर्शाए गए अंतिम शेषों से मेल नहीं खाते थे तथा कुछ शेष तुलन पत्र में पाए ही नहीं गए। इस अनियमितता का विवरण निम्नानुसार है:-

अनुदान का शीर्ष	**परिशिष्ट (ख) द्वारा दर्शाया गया दिनांक 01/04/2013 को अनुदानों का आरम्भिक शेष**	**परिशिष्ट (क) (तुलन पत्र) द्वारा दर्शाया गया दिनांक 31/03/2013 को अनुदानों का अंतिम शेष**
IAY	शून्य	22424.00
AAY	4000.00	11500.00
12 th/13 th FC	215458.00	223544.00 (57531+166013)
VKVNY	68142.00	परिशिष्ट में नहीं पाया गया ।
VMJSY	10580.00	यथोपरि
13th FC P.S	2300	यथोपरि

अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(v) विभिन्न अनुदानों बारे पूर्ण जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे:-

परिशिष्ट "क" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि इस जानकारी में जिन कुछ अनुदानों के अंतिम शेष दर्शाए गए थे उन अनुदानों के शेषों को **परिशिष्ट "ख"** द्वारा विभिन्न अनुदानों के आय व्यय तथा शेषों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई जानकारी में नहीं दर्शाया गया था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है:-

अनुदान का शीर्ष	परिशिष्ट "क" (तुलन पत्र दिनांक 31/03/2013) में जिस क्रम संख्यां पर अनुदान दर्शाया गया था	परिशिष्ट "क" (तुलन पत्र) द्वारा दर्शाया गया दिनांक 31/03/2013 को अनुदानों का अंतिम शेष
अनुदान विकासात्मक कार्य	9	1418.00
अनुदान सिलाई केंद्र पलानिया	10	862.00
बिना शीर्ष अनुदान	18	105739.00
अनुदान यात्रा भत्ता पंचायत पदाधिकारी	32	2972.00

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि **परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी में सभी अनुदानों के आय व्यय तथा शेषों से सम्बन्धित जानकारी नहीं दर्शाई गई थी जोकि अनुचित है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 सावधि निवेश:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नही की गई थी जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचयात को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता हो कि इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

10 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

(i) रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम-3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जाएगा , परन्तु पड़ताल में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ वही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु चार रोकड वहियां अलग से लगाई गई थी, जो अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) रोकड़ बही के रख रखाव बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा ही प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही में कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग की गई थी। कई वाउचर्स (मस्टर रोल्स) पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में कई प्रविष्टि यों का सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अलावा कई माहों के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा न तो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था तथा न ही वर्ष के अंत में कैश/बैंक्स के शेषों का विवरण दिया गया था। नियम में निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि भी रखी गई थी। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(iii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश न दर्शाना :-

स्वस्त्रोतों तथा विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही में दिनांक 01/04/1 3 को दर्शाए गए हस्तगत शेष ₹17406 में से ₹16971 पूर्व सचिव के पास हस्तगत शेष दर्शाए गए थे। यह राशि दिनांक 02/07/2014 को आरम्भिक शेष में नहीं दर्शाई गई थी। चर्चा के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह राशि बट्टे खाते में डाल दी गई थी तथा इसी कारण इस राशि को हस्तगत शेष में नहीं दर्शाया गया था। परन्तु राशि को बट्टे खाते में डालने करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के आदेश अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। अत: सक्षम प्राधिकारी जिनके आदेश के आधार पर इस ₹16971 को बट्टे खाते में डाला गया था वह आदेश आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ।

11 आय:-

(i) गृहकर की ₹0.24 लाख वसूली हेतु लम्बित:-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹24220/-के (12540+11680) गृह कर की वसूली नहीं की गई थी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹24220/- की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में गृह कर की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा गृह कर (₹20/- प्रति वर्ष) के निर्धारण से सम्बन्धित पारित प्रस्ताव भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह प्रस्ताव अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) अंकेक्षण के दौरान गृह कर मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया इस से यह प्रतीत होता है या तो इस अभिलेख का रख रखाव ही नही किया जा रहा था या इसे update नहीं किया गया था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर update करके प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) शराब उप कर की वसूली न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** (पृष्ठ संख्यां 46 पर संलग्न) द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशी की आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः शराब उपकर की नियमानुसार देय रा शी सम्बन्धित विभाग से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रा शी की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नही दिया जा रहा था । यह भी पाया गया कि एक समय मे एक साथ एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया जा रहा है तथा रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टियाँ क्रमवार नही की जा रही थी। रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों के उपयोग तथा उनके शेषों बारे पड़ताल नहीं की जा सकी। अत: उपरोक्त

अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रसीद बुक रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(iv) अनुदानों की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों/दस्तावेजों का रख रखाव न करना:-

खंड विकास कार्यालय द्वारा समय-2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते हैं। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खंड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिन में जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यो आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खंड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय:-

12 क्रय से सम्बन्धित निविदाएँ (quotations) प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण क्रय करने से पूर्व हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्रय करते समय नियम 67 में दिए गए निर्देशों का पालन ही न किया गया हो। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 क्रय से सम्बन्धित निविदाएँ (quotations) आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए और यदि निम्नलिखित क्रय हेतु उपरोक्त नियम में वर्णित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	विवरण
मनरेगा	11/13	45	2592/-	पत्थर
		45	3989/-	पत्थर
		46	2500/- तथा 4500/-	पत्थर तथा रेत
		47	11250/-	रेत

		47	10350/-	रेत
	07/15	84	7500/-	रेत
		84	7500/-	रेत
		84	10000/-	रेत
		85	7500/-	रेत
		86	6120/-	स्टील
		86	3884/-	स्टील
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	11/13	2	22399/-	स्टील से सम्बन्धित
		2	12479/-	स्टोन
12th,13th and 14th	06/14	20	7320/-	सेनेटरी से सम्बन्धित वस्तुएं
IWMP	06/14	4	10100/-	सीमेंट
		4	15750/-	रेत तथा रोड़ी
DPAP	06/14	41	5500/-	रोड़ी
		41	4150/-	शेटरिंग

13 जेसीबी चार्जीस के रूप में ₹3.11 लाख का अनियमित भुगतान एवं वैधानिक कटौतियाँ न करना:-

(क) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जे सी बी के किराये के रूप में निम्नानुसार ₹311200/- का भुगतान किया गया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशनस/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है परन्तु नीचे क्रम संख्यां 1 में दर्शाए गए भुगतानों के अतिरिक्त अन्य भुगतानों के सन्दर्भ में कोटेशन्स/निविदाएँ नहीं दर्शाई गई। कर्म संख्यां 1 में दर्शाए गए भुगतानों के सन्दर्भ में जो कोटेशन्स दर्शाई गई थी वे भी सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि श्री अजय पन्त तथा श्री हेम राज से प्राप्त की गई कोटेशन्स पर न तो क्रय हेतु गठित की गई समिति के हस्ताक्षर थे तथा न ही प्राप्त करने की तिथि, उनके खोले जाने की तिथि बारे कोई विवरण दर्ज था। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह निविदाएँ सीलबंद भी नहीं थी जिस कारण कोटेशन्स संग्रहण उपरान्त क्रय करने /कार्य करवाने का उदेश्य ही विफल हो जाता है। वैसे भी निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु किया गया भुगतान ₹50000/- से अधिक होने के कारण नियम 67(5) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टेंडर आमंत्रित किया जाने अनिवार्य थे नाकि कोटेशन्स जोकि नहीं किया गया। इसके अतिरिकत जेसीबी से करवाए गए निम्नलिखित कार्यों की सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्थिति में जेसीबी चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए अन्यथा निर्माण कार्य करवाए जाने से पूर्व नियम 67(5) में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया न अपनाने के कारण हुई अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा साथ में सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की प्रविष्टियाँ तथा इन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृतियां भी दर्शाए जाए।

रोकड़ बही	कर्म संख्यां	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	संविदाकार का नाम
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	1.	11/13	2	90000/-	इंजीनियर ललित मोहन
				70000/-	
				20000/-	
	2.	06/14	27	95500/-	मैसर्ज अमन ठाकुर
				17100/-	
	3.	07/15	78	7700/-	मैसर्ज पवन ब्रदर्स
				10900/-	
कुल योग				311200/-	

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त संविदाकारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियां भी नहीं की गई थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थी:-

(i) आयकर 2%

(ii) सेल्स टैक्स 3%

(ii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अब इनकी गणना करके उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करते हुये संबन्धित विभाग में राशि जमा करने उपरान्त कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

14 ₹1.61 लाख के भुगतानों से संबन्धित प्राप्त रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में रसीदें प्राप्त नहीं की जा रही है जोकि हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निदेशों की अवेहलना है तथा यह निम्न कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹161187 के भुगतानों से सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	विवरण
मनरेगा	11/13	45	2592/-	पत्थर का क्रय
		45	3989/-	पत्थर का क्रय
		46	2500/- तथा 4500/-	पत्थर तथा रोड़ी का क्रय
		46	17010/-	सीमेंट का क्रय
	07/15	84	7500/-	रेत का क्रय
		84	7500/-	रेत का क्रय
		84	10000/-	रेत का क्रय
		85	7500/-	रेत का क्रय
		86	6120/-	स्टील का क्रय
		86	3884/-	स्टील का क्रय
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	11/13	2	22399/-	स्टील का क्रय
		2	12479/-	स्टोन का क्रय
12th,13th and 14th	06/14	20	7320/-	सेनेटरी से सम्बन्धित वस्तुएं का क्रय।
IWMP	06/14	4	10100/-	सीमेंट का क्रय
		4	15750/-	रेत तथा रोड़ी का क्रय
DPAP	06/14	41	7154/-	सीमेंट का क्रय
		41	3240/-	सीमेंट का क्रय
		41	5500/-	रोड़ी का क्रय
		41	4150/-	शेटरिंग का क्रय
		कुल योग	**161187**	

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-

(i) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का उन निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) न दर्शाना:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों का सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी

प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) नहीं दर्शाया गया। जिस कारण इन निर्माण सामग्रियों का इन कार्यों के कार्यान्वन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	विवरण
मनरेगा	11/13	45	2592/-	पत्थर
		45	3989/-	पत्थर
		46	2500/- तथा 4500/-	पत्थर तथा रेत
		46	17010/-	सीमेंट
		47	11250/-	रेत
		47	10350/-	रेत
	07/15	84	7500/-	रेत
		84	7500/-	रेत
		84	10000/-	रेत
		85	7500/-	रेत
		86	6120/-	स्टील
		86	3884/-	स्टील
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	11/13	2	22399/-	स्टील से सम्बन्धित वस्तुएं
		2	12479/-	स्टोन
IWMP	06/14	4	10100/-	सीमेंट
		4	15750/-	रेत तथा रोड़ी
DPAP	06/14	41	7154/-	सीमेंट
		41	3240/-	सीमेंट
		41	5500/-	रोड़ी

(ii) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे:-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान कई बार आग्रह करने पर भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण

कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकीनीकी स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में उनकी प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(iii) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:-

(क) अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने के बावजूद हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 102(4) के अंतर्गत प्रावधित मस्टर रोल जारी (issue) रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे से यह प्रतीत होता है कि या तो इस रजिस्टर का रख रखाव ही नही किया जा रहा है या इसे नियमित रूप से update नहीं किया गया था। इस कारण चयनित मासों में जिन मस्टर रोल्स द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु भुगतान किया गया था उन मस्टर रोल्स की संख्यां, जिन निर्माण कार्य हेतु वे जारी किये गये थे, उनकी अवधियों तथा क्रमवार प्रयोग होने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि नही की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) यह भी पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित movement slip को पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा था तथा कई प्रकरणों में village monitoring committee (vmc) द्वारा भी मस्टर रोल्स पर करवाए गए निर्माण कार्यों पर सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था। कई मस्टर रोल्स में श्रमिकों की हाजिरी में कटिंग्स तथा ओवर राइटिंग्स की गई थी। उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**मस्टरोल की राशि (र०)**	**टिप्पणी**
मनरेगा	11/13	44	7038/-	movement slip पूर्ण नही भरी गई थी तथा vmc द्वारा भी कार्य का सत्यापन नहीं किया गया था ।
		45	9660/-	यथोपरि
		44	17112/-	movement slip संलग्न नहीं थी ।
		46	11454/-	movement slip पूर्ण नही भरी गई थी

		46	8970/-	यथोपरि
		46	7452/-	यथोपरि
		47	15318/-	यथोपरि
	07/15	85	10692/-	कटिंग्स तथा ओवर राइटिंग
		85	6966/-	यथोपरि
		85	8748/-	यथोपरि
		86	17172/-	यथोपरि

16 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारे :-

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान , उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, की मेन आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

17 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित वाउचर्स तथा अन्य अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये तथा इस कारण किये गये भुगतान के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (र०)	विवरण
IWMP	07/15	12	43188/- (13800+22800 +6588)	भुगतान से सम्बन्धित वाउचर नहीं दर्शाए गए।
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	11/13	2	28080/-	तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का किया गया आकलन (assessment) नहीं दर्शाया गया।
	06/14	27	9798/-	यथोपरि
	06/14	27	25500/-	यथोपरि
DPAP	06/14	30	11946/-	यथोपरि

	07/15	41	22302/-	यथोपरि

18 स्टोर/स्टोक:-

(i) ग्राम पंचायत के भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन (physical verification) बारे:-

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भंडार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भडार का भौतिक सत्यापन किया ही नही जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है। अत; इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹1.83 लाख की क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टोक/स्टेशनरी रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (₹)**	**विवरण**
मनरेगा	11/13	45	2592/-	पत्थर
		45	3989/-	पत्थर
		46	2500/- तथा 4500/-	पत्थर तथा रेत
		46	17010/-	सीमेंट
		47	11250/-	रेत
		47	10350/-	रेत
	07/15	84	7500/-	रेत
		84	7500/-	रेत
		84	10000/-	रेत
		85	7500/-	रेत

		86	6120/-	स्टील
		86	3884/-	स्टील
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	11/13	2	22399/-	स्टील से सम्बन्धित वस्तुएं
		2	12479/-	स्टोन
12th,13th and 14th	06/14	20	7320/-	सेनेटरी से सम्बन्धित वस्तुएं
IWMP	06/14	4	10100/-	सीमेंट
		4	15750/-	रेत तथा रोड़ी
DPAP	06/14	41	7154/-	सीमेंट
		41	3240/-	सीमेंट
		41	5500/-	रोड़ी
		41	4150/-	शेटरिंग
		कुल योग	183399	

19 विविध:-

(i) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 में दिए गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नही किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2013-14 तथा 2015-16 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाए गये थे जोकि अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "ग"** "के अनुसार से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

(ii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना:-

ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियमए 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) स्व स्त्रोत से प्राप्त आय से सीधा व्यय करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा बीच 2-में स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्य हेतु व्यय किया जा रहा है,

जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली आय व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है । अतः उक्त पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टिकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिल्लेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टोक रजिस्टर, रसीद बुक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनकोupdate किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिका**:- अलग से जारी नहीं की गई हैं।

21 **निष्कर्ष**:- खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 9 / 2017—खण्ड—1— 2379—2382 दिनाँकः 26.04.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत पलानिया, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता / —
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881